



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में वादिया के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की घटना कारित करने के आरोपी सन्नी त्यागी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त सन्नी त्यागी पुत्र सुदेश त्यागी निवासी ग्राम खेड़ी प्रधान थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में महिला थाने पर मु0अ0सं0 132/20 धारा 376/313/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सन्नी त्यागी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा



श्री इन्द्रपाल
एडीजीसी
जनपद
बागपत



का0 रितु
कटारिया
कोर्ट
पैरोकार

विवेचक-क्षेत्राधिकारी श्री
ओमपाल सिंह (तत्कालीन
क्षेत्राधिकारी नगर बागपत)

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर करने के आरोपी रिहान उर्फ शहजाद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 06 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा।



अवगत कराना है कि अभियुक्त रिहान उर्फ शहजाद पुत्र इकराम निवासी कस्बा व थाना सरधना जनपद मेरठ द्वारा वर्ष-2014 में पुलिस पार्टी पर तमंचे से फायर करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0-294/2014 धारा 307 भादवि पंजीकृत हुआ था। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 13.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रिहान उर्फ शहजाद को दोषी पाते हुए 06 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है



श्री अमित खोखर
एडीजीसी



है0का0
धर्मेन्द्रकुमार
कोर्ट पैरोकार

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री महेश चन्द
शर्मा

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police

baghpatpolice

@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 13.08.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 259/2025 धारा 131/115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.08.25 को थाना खेकडा पर वादी कमल तेवतिया पुत्र ओमबीर सिंह निवासी मवीकलां थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा शराब के अंकित मूल्य से अधिक रुपये मांगे गये, जिसका वादी द्वारा विरोध किया गया तो ठेके पर नियुक्त सेल्समैन



द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए लात घूंसो से मारपीट की, जिसमें वादी के हाथ की उंगली टूट गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं 259/25 धारा 131/115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं 259/25 धारा 131/115(2)/352/351(3)/117(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों 1.रिहान पुत्र जहीर आलम निवासी असालतपुरा बडी मस्जिद मुरादाबाद थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद व 2.राहुल पुत्र किरन निवासी लुखलाडा थाना बाबूगढ जनपद हापुड के नाम प्रकाश में आये हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.रिहान पुत्र जहीर आलम निवासी असालतपुरा बडी मस्जिद मुरादाबाद थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद ।
- 2.राहुल पुत्र किरन निवासी लुखलाडा थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० कपिल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 432 अनिल नागर थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3- है०का० 804 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-13.08.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध तलवार बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तलवार बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुलदीप पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तलवार ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सौम्य कृष्णात्रेय थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-13.08.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम नंगला कनवाडा थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री मोहित चौहान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 464 सुधीर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 13.08.2025

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .12 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलाब पुत्र इलियास निवासी ग्राम अशरफावाद थल थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .12 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री विकास कुमार थाना बड़ौत।
2. है०का० 358 बन्टी रावल थाना बड़ौत।
3. का० 420 मौ० राशिद थाना बड़ौत।

